रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072024-255756
CG-DL-E-26072024-255756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2024/ श्रावण 3, 1946
No. 411] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/ SHRAVANA 3, 1946

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 450(अ).— नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए), के नियमों और विनियमों के नियम 9.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी भर्ती नियम, 2003 के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा निदेशक, आईजीआरयूए के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. –**

(i) इन नियमों का नाम निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी भर्ती नियम, 2004 है।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:**

उपर्युक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्टानुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अहर्ताएं, आदि:**

भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले, उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्टानुसार होंगे।

4. **निरहर्ता. –** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है; या

(ii) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि, यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार विद्यमान हैं, तो केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनमान**	**चयनित पद या ग़ैर-चयनित पद**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
निदेशक	1	अननुसचिवीय	अकादमी के नियमानुसार उड़ान एवं अन्य भत्तों सहित 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन स्तर - 14	चयन
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	**क्या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ स्वीकार्य है**	**सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं**	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति कार्मिकों के मामले में लागू होंगी**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**
6.	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
45 और 57 वर्षों के मध्य	नहीं	**अनिवार्य:-** i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग/एयरोस्पेस	लागू नहीं	लागू नहीं

		इंजीनियरिंग/एयरोनॉटिक्स/एविओनिक्स इंजीनियरिंग/एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव/न्यूनतम दो श्रेणियों (बी1, बी2, बी3 और सी) में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस, विशेष रुप से भारी विमानों हेतु, सहित संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव। **अथवा** (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सहित विमान रखरखाव/एयरोस्पेस एवियोनिक्स/एयरोनॉटिक्स/एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में 2 वर्षीय मास्टर्स/स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **अथवा** (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा भारतीय वायुसेना/सशस्त्र बलों के विमानन विंग/केन्द्रीय पुलिस बलों/सुरक्षा एजेंसियों/एयरलाइनों में उड़ान प्रचालन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। **अथवा** (iv) वर्तमान एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) धारक सहित संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। **वांछित:-** (i) विमानन क्षेत्र में विशेषत: उच्चतर एवं प्रासंगिक योग्यता को वरीयता दी जाएगी। (ii) कम से कम 02 वर्षों का विमान पर अनुदेशनात्मक अनुभव। (iii) प्रशिक्षण संस्थान चलाने का कम से कम 03 वर्ष का प्रशासनिक या प्रबंधकीय अनुभव।		

भर्ती की विधि, क्या भर्ती सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा है और विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**
11	12
सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) नोट: सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्ति शुरुआत में तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	**प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है)** (i) भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन और उससे ऊपर के पद पर तैनात अधिकारी; या (ii) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी:

	(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हो; या (ii) 7वें सीपीसी मैट्रिक्स या समकक्ष में 13ए के वेतन स्तर वाले पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, या 13 के वेतन स्तर वाले पदों पर 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; और (ख) जिन्हें स्तंभ सं. 8 के तहत दर्शाई गई शैक्षणिक अर्हता और अनुभव प्राप्त हो। प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित), आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	**वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।**
13	**14**
लागू नहीं है। (क्र.सं. 11 पर भर्ती केवल सीधी या प्रतिनियुक्ति आधार पर)	यह आवश्यक नहीं है क्योंकि इग्रुआ स्वायत्त संगठन है।

[फा. सं. एवी-28060/10/2017-जीए-एमओसीए-भाग(1)]
मधु सूधन् शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2024

G.S.R. 450(E).—In exercise of powers conferred under Rule 9.1 of the Rules and Regulations of Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi (IGRUA), an autonomous organisation under Ministry of Civil Aviation, and in supersession of the Director, Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi Recruitment Rules, 2003, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, IGRUA, namely:

1. Short title and commencement:

(i) These rules may be called Director, Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.:

The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule

4. Disqualification: No person, :-

(i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power of relaxation:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**No. of post**	**Classification**	**Scale of pay**	**Whether Selection post or Non — Selection Post**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
Director	1	Non- Ministerial	Pay Level -14 as per 7th CPC pay matrix plus flying and other allowances as per rules of the Akademi.	Selection
Age limit for direct recruits	**Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972**	**Educational and other qualification required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes**	**Period of probation , if any**
6.	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
Between 45 and 57 years	No	**Essential:-** (i) Graduate in Aeronautical Engineering/ Aerospace Engineering/ Aeronautics/ Avionics Engineering/ Aircraft Engineering from a recognized	Not Applicable	Not Applicable

		university along with an experience of at least 10 years in related field / Aircraft Maintenance Engineering Licence in minimum two Categories (B1, B2, B3 and C) preferably on Heavy aircraft along with an experience of at least 10 years in related field. **OR** (ii) Graduate from a recognized university with a 2 years Masters/Post Graduate Diploma in Aircraft Maintenance/ Aerospace Avionics/Aeronautics/Aircraft Engineering. **OR** (iii) Graduate from a recognized university with an experience of at least 10 years in flying operations in the Indian Airforce/Aviation Wing of Armed Forces/Central Police Forces/Security Agencies/ Airlines. **OR** (iv) Holder of current Airlines Transport Pilot's License (ATPL) along with an experience of at least 10 years in related field. **Desirable:-** (i) Higher and relevant qualification preferably in aviation sector. (ii) Instructional experience on aircraft for at least 02 years. (iii) Administrative or managerial experience of at least 03 years of running a training institute.		

Method of Recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Promotion/ Deputation/ Transfer grades from which Promotion / Transfer to be made.
11	12
Direct recruitment / deputation (including short-terms contract) Note: The appointment either by direct recruitment or by deputation will initially be made for a period three years, which may be extended upto five years.	**Deputation (including Short term contract)** (i) Officers of Indian Air Force holding the rank of Group Captain and above; or (ii) Officers of the Central Government/State Governments/ Public Sector Undertakings/ Semi — Governments/ Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) Holding Analogous post on regular basis; or (ii) With 3 years regular service in posts in the pay level of 13A, or 05 years of regular service in posts in the pay level of 13,in the 7th CPC matrix or equivalent; and (b) Possessing the education qualifications and experience as indicated under column no. 8 The upper age limit for appointment by deputation basis (including short-term contract) should not exceed 57 years on the closing date of receipt of applications

If a Departmental Promotion Committee exists what is composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13.	14.
Not Applicable (Recruitment only by Direct or Deputation Sl. No.11).	Not necessary as IGRUA is an autonomous organisation.

[F. No. AV-28060/10/2017-GA-MOCA-Part(1)]
MADHU SUDHANA SANKAR, Joint Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.26 15:43:31 +05'30'